**** ****

**प्रेस विज्ञप्ति**

**आईआईएमए और यूनिसेफ ने चाइल्ड-फ्रेंडली सिटीज़ के निर्माण हेतु कॉर्पोरेटरों के लिए समर्पित मंच शुरू किया**

**19 मार्च, 2020 | अहमदाबाद** : अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) के **कॉर्पोरेटरों** को अब बाल-सुलभ शहर बनाने के लिए बेहतर उपकरण और तकनीक से लैस किया जाएगा। यह मंच वर्ष 2015 में गठित भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद (आईआईएमए) और यूनिसेफ की एक अनूठी संयुक्त पहल का हिस्सा है। परिवर्तन के लिए ज्ञान प्रबंधन तथा नवप्रवर्तन-नॉलेज मैनेजमेंट एंड इनोवेशन फॉर चेंज (केएमआईसी) शहरी शासन पर एक सूचना भंडार है जो विकासशील बाल-सुलभ शहर पर ध्यान केंद्रित करते हुए आईआईएमए द्वारा एक समर्पित वेबसाइट पर उपलब्ध है।

बच्चों के सामाजिक संरक्षण में वार्ड पार्षदों की भूमिका के बारे में प्रोफ़ेसर अंकुर सरीन, आईआईएमए ने बताया, "हमारे अध्ययन से पता चलता है कि **कॉर्पोरेटर** अक्सर सबसे वंचितों के लिए सरकारी संपर्क का पहला बिंदु होते हैं और स्थानीय निवासियों की आकांक्षाओं को साकार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, कार्यक्रमों के अंतिम-मील तक के वितरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद, पार्षदों को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से अनौपचारिक संसाधन और नेटवर्क पर निर्भर रहना पड़ता है। अहमदाबाद शहर को अधिक बाल-सुलभ बनाने के लिए एएमसी वार्ड पार्षदों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कई गतिविधियों में केएमआईसी अनुसंधान टीम लगी हुई है।"

केएमआईसी ने एएमसी पार्षदों के लिए एक हैंडबुक और प्रशिक्षण पुस्तिका बनाई है जिनमें एएमसी में प्रत्येक वार्ड की सुविधाओं की गुणवत्ता, शहरी अहमदाबाद में रहने वाले बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना और पार्षदों के पर्सनल/निजी बजट के खर्च के पैटर्न का दस्तावेजीकरण शामिल किया गया है।

केएमआईसी के प्रयासों के बारे में बात करते हुए, श्री राकेश जानी, यूनिसेफ के सामाजिक नीति विशेषज्ञ ने कहा, "इस पहल का उद्देश्य संसाधन उपलब्ध करवाना है जो नीति प्रक्रियाओं के लिए एक इनपुट के रूप में कार्य कर सके और बाल अधिकारों तथा बाल कल्याण के लिए महत्त्वपूर्ण साबित हो ।"

"गुजरात सरकार और उसके विभिन्न नगर निगमों ने शहरी क्षेत्रों में बच्चों की जरूरतों को पहचानते हुए पर्याप्त सामाजिक बुनियादी ढाँचा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं, इन नीतियों और प्रयासों से तथा स्थानीय अधिकारियों की संयुक्त भागीदारी से शासन और सेवा वितरण में सुधार होगा," ऐसा श्री जानी आगे बताया।

वार्ड पार्षदों के इनपुट के साथ इस सूचना भंडार को तैयार किया गया है। इसके अलावा शहर के निगमों के अधिकारियों, विशेष रूप से एएमसी; शिक्षाविदों और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि; और स्वयंसेवक आदि अधिकारियों से भी परामर्श लिया गया है।

केएमआईसी अधिकारियों ने कहा कि सामग्री को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह न केवल पार्षदों के लिए उपयोगी है, बल्कि शहरी स्थानीय प्रशासन में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक उपयोगी संसाधन है।

यह मंच नागरिक हित संगठनों, शिक्षाविदों, और प्रशासनिक अधिकारियों सहित कई हितधारकों के लिए खुला रहेगा।

इनमें से कुछ पहलों के बारे में, पिछले प्रकाशनों, नीति विषयक संक्षिप्त विवरणों, व्याख्यान वीडियो, पिछले सेमिनारों में से कुछ के बारे में अधिक विवरण [https://sites.google.com/iima.ac.in/kmic](https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=hi&u=https://sites.google.com/iima.ac.in/kmic) पर उपलब्ध हैं।

**केएमआईसी पहलें -**

●  **एएमसी पार्षदों के लिए हैंडबुक और प्रशिक्षण पुस्तिका**

यह एएमसी के कामकाज के बारे में जानकारी सरल भाषा में प्रदान करती है। । इसका उद्देश्य पार्षदों को ऐसा मार्गदर्शन पथ प्रदान करना है जो नागरिक प्रशासन की विशाल जटिल प्रणाली और अपारदर्शी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को ध्वस्त करता है। इसमें सामग्री कई विषयों पर आयोजित की गई है जैसे कि निगम के कामकाज (संरचना, कृत्यों, और इसे नियंत्रित करने वाले नियमों सहित) के बारे में जानकारी, योजना बनाना और उनके 'सामान्य और व्यक्तिगत' बजट, भूमिकाएँ और जिम्मेदारियों के बारे में विवरण, और निगम के विभिन्न विभागों और प्रकोष्ठों की जानकारी आदि।

●  **एएमसी में प्रत्येक वार्ड के लिए सुविधाओं की गुणवत्ता तथा लोकेशन मैपिंग**

अहमदाबाद के सभी वार्डों में गुणवत्ता पर कई संकेतकों के साथ बच्चों से संबंधित सुविधाओं की लोकेशन मैप किया गया है और इस जानकारी को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। वार्ड-स्तरीय प्रोफाइल के निर्माण में स्कूलों, आंगनवाड़ियों, अस्पतालों / क्लीनिकों / शहरी स्वास्थ्य केंद्रों (यूएचसी), पुस्तकालयों, उद्यानों और सार्वजनिक शौचालयों जैसी अन्य सुविधाओं के साथ भू-स्थानिक मानचित्रण शामिल है। आंगनवाड़ियों और स्कूलों द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्रों और बुनियादी ढाँचे (बिजली, पानी के कनेक्शन, शौचालय और खेल के मैदान) और छात्र-शिक्षक अनुपात के प्रावधान पर जानकारी उपलब्ध करवाई गई है।

* शहरी अहमदाबाद में रहने वाले बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी वाली पुस्तिका

उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से 100+ योजनाओं की जानकारी एकत्र और व्यवस्थित की गई है। संबंधित विभाग से संबंधित जानकारी, पात्रता मानदंड, और योजना से संबंधित लाभों पर विवरण शामिल किए गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी और अन्य सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रों के आसपास की योजनाओं को कई विभागों से सत्यापित किया गया है। योजनाओं के बारे में जानकारी आरटीआई अधिनियम के तहत किए गए कई अनुरोधों, और वेबसाइटों और कार्यालयों पर उपलब्ध सरकारी दस्तावेजों से एकत्र की गई थी।

* **पार्षदों के पर्सनल बजट के व्यय पैटर्न को समझना**

टीम ने आरटीआई अधिनियम के तहत किए गए अनुरोधों के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी के आधार पर पार्षदों के वार्षिक विवेकाधीन (या ’व्यक्तिगत’) बजट के उपयोग का विश्लेषण किया।परिणामस्वरूप वर्ष 2016-17 के लिए विभिन्न वार्डों ने इस जानकारीको डिजीटल किया। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक पार्षद के लिए उपलब्ध विवेकाधीन या ’व्यक्तिगत’ बजट एक संभावित अनुकूलन योग्य बजट है जिसे वार्ड पार्षदों और उनके मतदाताओं द्वारा वार्ड संबंधित गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्ष 2019-20 के लिए एएमसी में प्रत्येक पार्षद को उपलब्ध विवेकाधीन बजट लगभग 25 लाख रू. था। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पार्षदों और नागरिकों के बीच अधिक से अधिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करना और वार्ड की विशिष्ट आवश्यकताओं की ओर ध्यान आकर्षित करना है।

* संगोष्ठियों और दौरों के आयोजन के माध्यम से बच्चों और किशोरों की असुरक्षाओं के बारे में उपेक्षित मुद्दों पर जोड़ने के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए एक मंच बनाना

**किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया संपर्क करें :**

आईआईएमए

श्री दीपक भट्ट, प्रबंधक, संचार विभाग आईआईएमए (mngr-comm@iima.ac.in)

सुश्री मिताली नायडू, जनसंपर्क कार्यकारी आईआईएमए (pr@iima.ac.in)

यूनीसेफ

अंकुश सिंह (asingh@unicef.org)

राकेश जानी (rjani@unicef.org)